इकाई 16 विधि साहित्य का अनुवाद

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 विधि–अनुवाद की आवश्यकता

16.3 अनूदित विधिक पाठ और अनुवादक की भूमिका

- 16.3.1 विधिक पाठ का अनुवाद और उसका प्राधिकृत रूप
- 16.3.2 प्राधिकृत पाठ और अनुवाद : स्थिति में अंतर
- 16.3.3 विधि साहित्य–अनुवादक की स्थिति–भूमिका

16.4 विधि–अनुवादक से पूर्वापेक्षाएँ

16.5 विधिक सामग्री का अनुवाद : शाब्दिक या भावानुवाद?

16.6 विधि अनुवाद और विधि की भाषा–शैली

16.7 विधि–अनुवाद की चुनौतियाँ

- 16.7.1 सामान्य बोलचाल के विशेष अर्थाभिव्यंजक शब्द
- 16.7.2 संकल्पनात्मक शब्दों के अनुवाद का प्रश्न
- 16.7.3 मिलते–जुलते अर्थाभिव्यंजक (संस्पर्शी) शब्दों का चयन
- 16.7.4 शब्दों का विश्लिष्ट प्रयोग
- 16.7.5 अपर्याप्त मानक शब्दावली
- 16.7.6 पारिभाषिक शब्दावली में एकरूपता का अभाव
- 16.7.7 विशिष्ट पदों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग
- 16.7.8 दूरस्थ–दोष का परिहार
- 16.7.9 अनुपूरक सामग्री की अनुपलब्धता
- 16.7.10 मूल प्रारूपण की समस्या
- 16.7.11 विधिज्ञ अनुवादकों का अभाव

16.8 विधि साहित्य का अनुवाद कब नहीं किया जाना चाहिए?

16.9 सारांश

16.10 अभ्यास के लिए प्रश्न

16.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- यह समझ सकेंगे कि विधि साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता क्यों है;
- विधि साहित्य का अनुवाद के लिए पूर्वापेक्षाओं को जान सकेंगे;
- विधि साहित्य का अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने उभरकर सामने आने वाली चुनौतियों को समझ सकेंगे; और
- यह जान सकेंगे कि विधि साहित्य का कब अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए।

16.1 प्रस्तावना

विधि साहित्य की भाषा के विधिक पक्ष के बारे में पिछली इकाई में अध्ययन करते समय आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि आजादी से पहले भारत में विधि की भाषा क्या थी और भारतीय संविधान में विधि की भाषा को लेकर क्या प्रावधान किए गए। उस इकाई में विधि के क्षेत्र में वर्तमान में हिंदी के प्रयोग का भी आपको पता चल चुका है। वहीं, इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि सांविधानिक प्रावधानों और विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में आज विधि के अनुवाद की आवश्यकता है। इस इकाई में इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है कि अनूदित विधिक पाठ और उसके अनुवादक की स्थिति क्या रहती है। इस संदर्भ में चिंतन बताता है कि विधिक पाठ का अनुवाद प्राधिकृत रूप ग्रहण किए हुए होता है, उसकी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है। इसके मूल में अंतर का जो आधार है, उस पर भी इकाई में विचार किया किया गया है और साथ ही अनुवादक की 'प्रारूपकार' भूमिका को प्रमाणित करता है।

विधि के अनुवाद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत इकाई में विधि साहित्य के अनुवाद के प्रयोजन, अपेक्षाओं और चुनौतियों–समस्याओं को अध्ययन का विषय बनाया गया है। वहीं यह जानना भी जरूरी है कि विधि साहित्य का कहाँ पर अथवा किन स्थितियों में अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। इस इकाई में विधि साहित्य के अनुवाद संबंधी इन सभी पक्षों को शामिल किया गया है। आइए, सबसे पहले यह जानते हैं कि विधि अनुवाद की आवश्यकता क्यों है?

16.2 विधि–अनुवाद की आवश्यकता

पुराने जमाने में नैतिक–धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुसार ग्राम–पंचायतें निर्णय करती थीं और बड़ी घटनाओं पर राजा द्वारा सुनवाई की जाती थी। निर्णयन की भाषा देशभाषा होती थी। किंतु समय बीतने के साथ–साथ कानून बने और उनके अनुपालन के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे। मुगल शासनकाल में प्रशासनिक कार्य फारसी भाषा में होता था। इस कारण विधि के क्षेत्र में अरबी–फारसी शब्दावली का बहुतायत प्रयोग होने लगा। किंतु मुगल शासनकाल के बाद ब्रिटिश शासनकाल में इंगलैंड की कानून–शासन प्रणाली यहाँ लाई गई और अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति के साथ–साथ कानून की चर्चा भी अंग्रेजी में होने लगी। इस तरह स्वाधीनता से पूर्व विधि के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नगण्य था क्योंकि तब शासन की भाषा अंग्रेजी थी और उससे पूर्व उर्दू–फारसी। ऐसे में स्वाभाविक है कि हिंदी में विधि साहित्य का अभाव था, जबकि अंग्रेजी में यह विपुल मात्रा में उपलब्ध रहा।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किए जाने से विधि के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ। किंतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही बनी रही। इस तरह अंग्रेजी का प्रयोग अनवरत चलता रहा। संविधान के अनुच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में सरकारी कार्यालयों से जारी होने वाले सभी दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किए जाने का उल्लेख किया गया और परिभाषा स्वरूप सामान्य आदेश, नियम, अधिनियम, सूचना, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदाएँ, करार, लाइसेंस, टेंडर, संसद के किसी सदन में रखे जाने वाले सरकारी पत्र आदि अनिवार्य रूप से अंग्रेजी और हिंदी में जारी करने की व्यवस्था की गई। विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी की सांविधानिक स्थिति के चलते संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 तथा राजभाषा नियम

1976 के अधीन विधायिका एवं न्यायपालिका के स्तर पर हिंदी (अथवा राज्य की राजभाषा) के प्रयोग का जो मार्ग खोला गया उसमें हिंदी का विकल्प मौजूद रहा और अंग्रेजी का वर्चस्व स्वीकार किया गया। इसके अलावा 1 अक्तूबर 1976 से यह आवश्यक हो गया कि संसद के पटल पर रखे जाने वाला प्रत्येक विधेयक हिंदी एवं अंग्रेजी में तैयार हो। इस तरह कहा जा सकता है कि इस द्विभाषिक स्थिति ने विधिक सामग्री के अनुवाद को आवश्यक बना दिया है। हालाँकि सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार हिंदी आज देश की राजभाषा है, किंतु विधि और न्याय के क्षेत्र में हिंदी का अस्तित्व अभी नगण्य है। देश में इस स्थिति–परिस्थिति ने विधि के क्षेत्र में अनुवाद की अनिवार्यता को बनाया हुआ है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हिंदी, देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, आम जनता की भाषा है। यह स्वीकार्य तथ्य है कि न्याय के शासन में विश्वास बनाए रखने के लिए और उससे भी बढ़कर जन–सामान्य का विश्वास प्राप्त करने के लिए यह परमावश्यक है कि राज्य की जनता को न्याय उसकी भाषा में दिया जाए ताकि आम–जन उसे भली प्रकार से समझ सकें, आत्मसात कर सकें। किंतु अगर विदेश भाषा में आम जन को न्याय मिले तो वे उसे कैसे समझ और आत्मसात कर पाएँगे। जब उन्हें इसका भली प्रकार से बोध ही नहीं हो पाएगा तो न्याय–व्यवस्था सार्थक ढंग से कैसे लागू हो पाएगी? कानून की अंग्रेजी भाषा की तो स्थिति यह है कि अनपढ़ तो दूर कोई अच्छा पढ़ा–लिखा व्यक्ति भी उसकी विषय–वस्तु को भली प्रकार से समझ नहीं पाता है। इसलिए विधि को अपनी भाषा में उपलब्ध होने की बात कही जाती है ताकि आम जनता भी उसे भली प्रकार से समझ सके। इस समझ के बाद ही विधि के अनुपालन की अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे में अंग्रेजी में उपलब्ध विधि–साहित्य के हिंदी अनुवाद की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है।

सांविधानिक प्रावधानों के आधार पर विधि को जनता की भाषा में प्रस्तुत करने की व्यवस्था तो कर दी गई है, किंतु जब तक प्रारूप आदि मूल रूप से हिंदी में तैयार नहीं किए जाते तब तक अनुवाद की अनिवार्यता बनी रहेगी। विधि के क्षेत्र में हिंदी में चिंतन एवं मूल लेखन का नितांत अभाव है। जबकि यही स्वीकार्य है कि भाषा, प्रयोग से सहज बनती है। भाषा के स्वाभाविक रूप का यह प्रयोग मूल भाषा के रूप का अवलंब लिए हुए होता है। व्यवहार से भाषा की सहजता में निखार आता है, 'कृत्रिमता', 'अस्वाभाविकता', 'क्लिष्टता', 'दुरूहता' जैसे शब्द उसके पास फटक नहीं पाते हैं। विधि–सामग्री के अनुवाद में फँसे रहकर विधि का स्वरूप शब्दानुवाद बनकर रह जाता है।

जन–साधारण के लिए बनाई जाने वाली विधि की भाषा अगर उन्हें ही समझ नहीं आती है तो ऐसे में यह अपरिहार्य हो जाता है कि विधायन और न्याय–निर्णयन का उसकी भाषा में विधान हो। वस्तुतः वर्तमान जीवन में विधि–अनुवाद आवश्यक बन गया है।

विधि–अनुवाद की अनिवार्यता का एक पक्ष अभाव–पूर्ति से भी जुड़ा हुआ है। कानूनी ज्ञान के अभाव में अन्याय–उत्पीड़न का कानूनी प्रतिकार भी कठिन होता है। स्वयं को अनाचार–अन्याय और उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। अगर यह ज्ञान इतर भाषा में है तो उसे अपनी भाषा में लाकर समझने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसे में अनूदित संस्करण ही ज्ञान–पूर्ति का माध्यम बन जाता है। इसलिए विधि अनुवाद आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य है।

विधि–अनुवाद की अनिवार्यता के संबंध में सार रूप में यही कहा जा सकता है कि संघ की राजभाषा हिंदी घोषित हो जाने के परिणामस्वरूप स्वाधीनता–प्राप्ति के पश्चात अंग्रेजी भाषा में विरासत में मिली समस्त विधियों को हिंदी में तैयार करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता बढ़ी है। भारतीय संविधान में मुख्य विधानों और अधीनस्थ विधानों के स्तर पर राजभाषा हिंदी विषयक प्रावधानों के कारण, द्विभाषिकता की अनिवार्यता के आलोक में विधि के क्षेत्र में अनुवाद का प्रवेश उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो गया है।

16.3 अनूदित विधिक पाठ और अनुवादक की भूमिका

विधि–अनुवाद की आवश्यकता और अनिवार्यता के विभिन्न आयामों को जानने के बाद, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अनूदित विधिक पाठ की स्थिति क्या रहती है। यही प्रश्न, अनुवादक की हैसियत से जुड़ा हुआ नजर आता है। इन पक्षों पर भी विचार करना जरूरी है। आइए, इनपर संक्षेप में विचार करें।

16.3.1 विधिक पाठ का अनुवाद और उसका प्राधिकृत रूप

वैसे तो आम तौर पर अनूदित किसी भी पाठ की स्थिति पर उस हद तक और उस स्तर पर प्रश्न–चिह्न नहीं लगाया जाता, जितना विधिक अनुवाद पर लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि प्रशासन–बैंकिंग आदि जीवन–व्यवहार के विविध क्षेत्रों में अनूदित पाठ, राजभाषा संबंधी व्यवस्था के कारण और भाषा प्रयोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन, अनूदित पाठों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जबकि, विधि के क्षेत्र में राजभाषा संबंधी व्यवस्था के चलते अनूदित पाठ का स्वतंत्र अस्तित्व उसे विशिष्टता प्रदान करता है। इसलिए अनूदित पाठ को प्राधिकृत पाठ माना जाता है, उसकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया जाता है।

अनूदित पाठ को प्राधिकृत पाठ मानने संबंधी इस धारणा के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता है। अनूदित पाठ को प्राधिकृत पाठ के रूप में स्वीकार्यता की पृष्ठभूमि में संविधान सभा द्वारा हस्ताक्षरित हिंदी के संविधान की विधिक स्थिति और 1950 के बाद किए गए संशोधनों के हिंदी पाठ में समावेश करने पर उठाए गए प्रश्न का संदर्भ लिए हुए है। इसका आधार यह था कि हिंदी में अनूदित संविधान 'प्राधिकृत पाठ' नहीं है। इसलिए वर्ष 1987 में संविधान संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया कि 'प्रकाशित पाठ हिंदी में प्राधिकृत पाठ (Authoritive Text)' पाठ समझा जाएगा। इस प्रकार, भारत के संविधान के अंग्रेजी और हिंदी, दो भाषाओं में प्राधिकृत पाठ हैं। विशेष यह भी है कि संविधान संशोधन का यह प्रावधान भविष्य में होने वाले संशोधनों पर भी लागू होता है। इस आधार पर, जब किसी भी केंद्रीय अधिनियम, अध्यादेश, नियम आदि के हिंदी अनुवाद को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वह उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ के रूप में स्वीकार किया जाता है। और, स्वाभाविक है कि यह व्यवस्था अनुवादक की स्थिति और भूमिका को भी विशिष्ट बना देती है। इसलिए हमें अनुवादक की स्थिति पर विचार करना जरूरी है। लेकिन, उससे पहले यह स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि अनूदित पाठ और प्राधिकृत पाठ में क्या अंतर है।

16.3.2 प्राधिकृत पाठ और अनुवाद : स्थिति में अंतर

अनूदित पाठ और प्राधिकृत पाठ की अवधारणा का संबंध, मूलतः 'अनूदित पाठ' से ही है। लेकिन प्राधिकृत पाठ की अवधारणा 'अनूदित पाठ की विधिक स्थिति' का आयाम लिए हुए है। विभिन्न सांविधानिक–वैधानिक व्यवस्थाओं के चलते विधि–अनुवाद की अनिवार्यता की स्थिति ने इस अवधारणा को जन्म दिया और हिंदी अनूदित पाठ को प्राधिकृत पाठ (Authoritive Text) के रूप में स्वीकार करने से जुड़ी हुई है।

प्राधिकृत पाठ और अनुवाद में अंतर माना जाता है। किसी अधिनियम आदि को अनूदित संस्करण मानने की स्थिति में होता यह है कि किसी भी विवाद के उठने पर स्रोत भाषा में तैयार किए गए मूल पाठ को आधार/प्रामाणिक माना जाता है। ऐसे में न्यायालय अनुवाद के आधार पर निर्णय नहीं देगा। जबकि विधि का लक्ष्य भाषा में अनूदित पाठ स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, वह प्राधिकृत पाठ हो जाता है। उस स्थिति में उसकी अपनी स्वतंत्र हैसियत बन जाती है। और, न्यायालय उस प्राधिकृत पाठ के आधार पर ही निर्णय दे सकता है, उसके समक्ष इस बात का कोई महत्व नहीं है कि प्राधिकृत केवल एक ही भाषा (उदाहरण के लिए, अंग्रेजी) में हो। यह एकाधिक भाषाओं में भी हो सकता है। कनाडा और भारत में दो भाषाओं में प्राधिकृत पाठ होते हैं जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कई भाषाओं में प्राधिकृत पाठ के रूप में है। इस तरह, मूल और प्राधिकृत पाठ का दर्जा अथवा स्तर समान माना जाता है और पूरी तरह से वैध होता है। सुसंगत अधिनियम के उपबंधों का निर्वचन करते समय न्यायालय द्वारा स्रोत भाषा के (मूल) पाठ अथवा लक्ष्य भाषा के प्राधिकृत (अनूदित) पाठ में से किसी पर भी विचार किया जा सकता है।

16.3.3 विधि साहित्य–अनुवादक की स्थिति–भूमिका

अनूदित पाठ का प्राधिकृत रूप या फिर कहें कि प्राधिकृत पाठ और अनुवाद की वैधानिकता में अंतर अनुवादक की स्थिति और भूमिका में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला देता है। अनुवादक की उत्तरदायित्वपूर्ण यह स्थिति, उसके अनुवाद–कर्म को और अधिक गहन एवं गंभीर बना देती है।

लक्ष्य भाषा में अनुवाद तैयार करने वाला अनुवादक उन सभी नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करता है जिनका मूल पाठ के प्रारूपकार ने किया था। मूल पाठ का प्रारूपकार सरकार द्वारा किसी विषय विशेष पर निर्धारित की गई नीति को कार्यान्वित करने और उसे विधि की शक्ति प्रदान करने के लिए उससे संबंधित विधेयक प्रारूप तैयार करता है। विधेयक के उस प्रारूप के यथावत या फिर संशोधन आदि करते हुए निश्चित कार्यविधि से और अपेक्षित अनुमोदन आदि से अधिनियम का रूप दे दिया जाता है। प्रारूपकार विधि विषय संबंधी अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर और मूल विषय का वैज्ञानिक रीति–नीति से विवेचन–विश्लेषण कर उसे निश्चित किंतु विशिष्ट स्वरूप में तैयार करता है। इसके लिए प्रारूपकार का नियमों का सम्यक ज्ञान रखने वाला उच्च कोटि का विधिज्ञ होने के साथ–साथ सृजनात्मक लेखक के समान सहज प्रतिभा–संपन्न होना जरूरी होता है।

देखा जाए तो मूल प्रारूपकार की भाँति, विधि–अनुवादक से भी ऐसे विशिष्ट गुणों की अपेक्षा की जाती है, जैसी मूल भाषा के एक विधायी प्रारूपकार से की जाती है। उदाहरण के लिए, प्रारूपकार प्रारूप तैयार करते समय उसमें एकरूपता के गुण को बनाए रखता है, उसी प्रकार अनुवादक को भी हर कानून में एकरूपता को बनाए रखना होगा। विशेष बात यह भी है कि इस एकरूपता को अनुवाद के रूप में प्रारूप

तैयार करते समय तो रखी ही जाए, संशोधित किए जाने वाले अंशों के स्तर पर भी रखी जानी चाहिए क्योंकि किसी भी अधिनियम का प्रत्येक उपबंध उस मूल अधिनियम में माना जाता है। इसलिए वह मूल पाठ के आलोक में संशोधन का अनुवाद करता है। अगर वह मूल पाठ के बिना यह कार्य करता है तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। इसके अलावा, अनुवादक को मूल पाठ में आए पूर्व–दृष्टांतों का अनुवाद न करके उसके प्राधिकृत पाठ का उपयोग करना भी शामिल है।

संक्षेप में कहा जाए तो अनुवादक को प्रारूपकार की भाँति सावधानी बरतते हुए एकरूपता बनाए रखता है। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल के ये शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं कि 'मूल पाठ में परिभाषा खंडों में, विशेषकर एक शब्द के अनेक एक–जैसे पर्याय दिए होते हैं। अनुवादक का यह कर्तव्य है कि वह किसी को छोड़ने का रास्ता ढूँढे बिना हर शब्द के लिए हिंदी में शब्द रखे, हालाँकि यह बड़ी कष्टदायक और श्रमसाध्य क्रिया है। उदाहरण के लिए, 'पैकेज' शब्द की परिभाषा में पैकेज के 30 पर्यायों का उल्लेख किया गया है जिसके लिए हिंदी में भी अलग–अलग पर्याय निर्धारित किए गए हैं।' (पृ.28–29)

इस प्रकार, कहा जा सकता है कि विधि–अनुवादक मूल अधिनियम में अधिकथित विधि को लक्ष्य भाषा में यथावत अभिव्यक्त करता है। इसलिए विधि–अनुवाद में अनुवादक मात्र 'अनुवादक' न होकर विधिक पाठ के समान स्तर का अपनी भाषा में प्राधिकृत पाठ को तैयार करने वाला 'प्रारूपकार' ही होता है। इस 'प्रारूपकार' का दायित्व अन्य विषयों से संबंधित सामग्री का अनुवाद करने वालों की तुलना में अधिक होता है। उसे किसी अधिनियम आदि के अनुवाद में विशेष सतर्कता बरतनी होती है। वह सतर्कता भाषा से संबंधित भी होती है और विधि मीमांसाशास्त्र से परिचित होने से संबंधित भी। इसलिए विधि के क्षेत्र में अनुवाद–कर्म करने वालों से कुछ विशेष अपेक्षाएँ की जाती हैं। आइए, इनके बारे में भी विचार करें।

16.4 विधि–अनुवादक से पूर्वापेक्षाएँ

'विधि अनुवाद' के संबंध में इस इकाई में अब तक किए गए अध्ययन से आपको यह तो स्पष्ट हो चुका है कि अनूदित होने के बावजूद प्राधिकृत पाठ माना जाने वाला संस्करण मूल पाठ के ही समान स्तर का होता है, दोनों का दर्जा बराबर होता है। अगर हम मूल अंग्रेजी के आधार पर तैयार किए गए प्राधिकृत हिंदी पाठ पर विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि देश के न्यायालय केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि उस प्राधिकृत हिंदी पाठ के आधार पर भी निर्णय दे सकते हैं। हिंदी में प्राधिकृत पाठ के निर्वचन के लिए भी वही सिद्धांत लागू होंगे जो अंग्रेजी पाठ के अर्थान्वयन में लागू किए जाते हैं। इसलिए इसके अनुवादक कुछ विशिष्ट अपेक्षाएँ की जाती हैं। ये हैं :

1. स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का आधिकारिक ज्ञान :

वैसे तो किसी भी प्रकार की सामग्री का अनुवाद करने के लिए अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु विधि–अनुवाद के क्षेत्र में प्रयाण करने वाले अनुवादकों के लिए स्रोत और लक्ष्य भाषा का आधिकारिक ज्ञान विशेष तौर पर अपेक्षित है। विधि–अनुवादक को दोनों भाषाओं के व्याकरण का सम्यक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। विधि–साहित्य में शब्द, वाक्य, वाक्यों में उपवाक्य, क्रिया, अनुबंध या उपबंध (adjunct) आदि व्याकरणिक उपकरणों के सम्यक ज्ञान विधि–अनुवादक को सहज अनुवाद कार्य भली प्रकार से कर पाता है।

2. विधि विषय का ज्ञान आवश्यक :

विधि का अनुवाद कार्य करने के लिए अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के अच्छे ज्ञान के साथ–साथ विधि विषय का ज्ञान होना भी आवश्यक है। विधिक–अनुवादक को यह ज्ञान शैक्षणिक योग्यता के रूप में भी हो सकता है या फिर यह ज्ञान अनुभव–जन्य भी हो सकता है। अगर अनुवादक को विधि का ज्ञान नहीं होगा तो वह सही अनुवाद नहीं कर पाएगा। विधि के क्षेत्र का अच्छा जानकार अथवा ज्ञाता और स्रोत एवं लक्ष्य भाषा पर अधिकार रखने वाले विधिज्ञ–अनुवादक विधि–सामग्री को भली प्रकार से अंतरित करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि विधायी आयोग में अधिनियमों और विधेयकों आदि के हिंदी अनुवाद के लिए जिन अनुवादकों को चुना जाता है उनकी शैक्षणिक योग्यता में विधि (कानून) में उपाधि, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आधिकारिक ज्ञान तथा न्यायिक सेवा में न्यायाधीश अथवा उच्च स्तर पर विधिक सेवा का सात वर्ष से अधिक के अनुभव को शामिल किया हुआ है। ऐसी शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता–अनुभव रखने वाले अनुवादक ही विधि संबंधी प्रामाणिक अनुवाद करते हैं।

3. मूल पाठ की शब्दावली और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान देना :

विधिक–अनुवाद में शब्द, अर्थ और अभिव्यक्ति के रूप में जो व्यक्त हो रहा है वह मूल के समकक्ष ही होना चाहिए। इसलिए विधि–अनुवादक को मूल को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए और चौकन्ने होकर अनुवाद करना चाहिए ताकि कहीं चूक होने की संभावना न रहे। थोड़ा–सा भी अर्थ–भेद होने या छोटी–सी भूल भी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। यही कारण है कि अनुवादक को विधि–अनुवाद में शब्दावली और अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मूल पाठ का निर्माण चूँकि विधिज्ञों द्वारा होता है, इसलिए उसकी शैली, विन्यास तथा क्लेवर, मामले की भाषिक संस्कृतिनिष्ठ भी होता है। इसलिए उस वैशिष्ट्य को अनुवाद में भी बनाए रखना आवश्यक है। अगर अनुवादक को कोई शब्द अथवा अभिव्यक्ति समझ में नहीं आ रही हो तो उसका अनुमान के आधार पर अनुवाद करने के स्थान पर उसे शब्दकोश देखना चाहिए या फिर इस संबंध में अनुभवी/सिद्धहस्त विधि–अनुवादक से चर्चा करनी चाहिए।

4. प्रामाणिक शब्दावली प्रयोग :

विधि की सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को हिंदी में प्रतिशब्द ज्ञात नहीं होने पर सर्वप्रथम भारत सरकार के विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित 'विधि शब्दावली' का प्रयोग करना चाहिए। विधि–सामग्री में आए पारिभाषिक शब्दों के पर्याय जानने के लिए इसी ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए। इससे अभिव्यक्ति में निश्चतार्थता स्थापित होगी। अगर शब्दावली में उस शब्द–विशेष के लिए एक से अधिक पर्याय दिए हों तो अनुवादक को चाहिए कि वह उनका अर्थ पढ़–समझकर संदर्भ के अनुसार मूलार्थ का द्योतन करने वाले प्रतिशब्द का ही प्रयोग करे।

किसी भी अधिनियम, नियम–विनियम आदि विधि–सामग्री में जहाँ कहीं विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी या फिर ज्ञान–विद्या की अन्य शाखाओं के शब्द आएँ तो वहाँ अनुवादक उनके लिए पर्याय गढ़ने का प्रयत्न न करे। ऐसे में प्रारूपकार/विधि–अनुवादक को चाहिए कि वह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (सी.एस.टी.टी.) द्वारा निर्धारित तत्संबंधी शब्दावली का ही प्रयोग करे। ऐसा करने से जहाँ शब्दैक्य की स्थापना होगी वहीं अर्थैक्य भी स्थापित होगा। आयोग द्वारा कमोबेश सभी विषयों की पारिभाषिक शब्दावली तैयार और प्रकाशित की जा चुकी हैं। फिर भी, अगर कहीं पारिभाषिक शब्द का पर्याय उपलब्ध नहीं हो पाता तो वैज्ञानिक

तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और संबद्ध तकनीकी विभाग की सहायता से पर्याय स्थिर किया जाना चाहिए। अनुवादक को इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि मनमाना पर्याय रखना विधि के क्षेत्र में, विशेष तौर पर, आपत्तिजनक है।

5. उपयुक्त प्रतिशब्द की अनुपलब्धता में नव–शब्द निर्माण :

ऐसी भी संभावना बन सकती है जब विधि शब्दावली में उपयुक्त प्रतिशब्द उपलब्ध ही नहो। ऐसे में उस शब्द का सबसे पहले सामान्य शब्दकोश अथवा विधिक शब्दकोशों से अर्थ ज्ञात करना चाहिए और फिर उस अर्थ को व्यंजित करने के लिए उसके स्थान पर कोई शब्द रखते हुए अनुवाद कर देना चाहिए। किंतु यह प्रायोगिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर अन्य संदर्भ में वह शब्द उपयुक्त न हो। ऐसे में उस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द चुनने की आवश्यकता पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, 'शासन' शब्द से 'शासकीय', 'शासक', 'शासित' आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 'अभियोग' शब्द से निर्मित 'अभियोगकर्ता', 'अभियुक्त', 'अभियोजन' शब्द हैं।

शब्द–विशेष को अपनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अपनाया गया शब्द अनुकूलनीय हो अर्थात् हिंदी भाषा के स्वरूप के अनुसार उसमें रचने–पचने लायक हो, हिंदी में घुल–मिल सके। अंग्रेजी के 'appeal' शब्द को हिंदी में अपनाते हुए उसे लिप्यंतरित (अर्थात 'अपील') किया जाता है। इस 'अपील' शब्द से 'अपीलार्थी', 'अपीली', 'अपीलीय' आदि शब्द बन जाते हैं। जबकि juvnile, jurisprudence, obiter dicta, homicide, ratio decidendi, rule of Ejusdem Generis आदि कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो हिंदी में आत्मसात न हो पाएँ।

6. प्रारूपकार की भाँति सभी विधिक नियमों–सिद्धांतों का अनुसरण करना :

लक्ष्य भाषा में प्राधिकृत पाठ तैयार करने वाला अनुवादक उन सभी नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करता है जिनका मूल पाठ के प्रारूपकार ने किया था। ऐसे में विधि–अनुवादक से उन समस्त गुणों की अपेक्षा स्वाभाविक है जो मूल भाषा के एक विधायी प्रारूपकार में होने चाहिए। विधि–अनुवादक मूल अधिनियम में अधिकथित विधि को लक्ष्य भाषा में यथावत अभिव्यक्त करता है। इसलिए विधि–अनुवाद में अनुवादक मात्र 'अनुवादक' न होकर 'प्रारूपकार' ही होता है। इस 'प्रारूपकार' का दायित्व अन्य विषयों से संबंधित सामग्री का अनुवाद करने वालों की तुलना में अधिक होता है। किसी अधिनियम आदि विधायी प्रारूपों के अनुवाद में विशेष सतर्कता बरतना अनिवार्य होता है।

7. पूर्व–दृष्टांतों और नमूनों के प्राधिकृत पाठ का उपयोग करना :

विधि प्रारूपण के रूप में अनुवाद–कर्म करते समय प्रारूपकार/अनुवादक को मूल पाठ में आए पूर्व–दृष्टांतों के प्राधिकृत पाठ का उपयोग करना चाहिए। चूँकि विधि में प्रारूपण–कार्य करने के दौरान एकाग्रता के साथ अर्थ का ध्यान रखते हुए जो वाक्य–रचना की जाती है उस पर विचार–विमर्श करके तैयार पाठ को मानक रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। कभी–कभी तो स्थिति यह भी हो जाती है कि वही उपबंध न्यायालय के समक्ष भी आता है और न्यायालय उसके अर्थ की पुष्टि कर देते हैं। न्यायालय द्वारा इस पुष्टि से उपबंध–विशेष को और भी अधिक बल प्राप्त हो जाता है। ऐसे में ये उपबंध पूर्व–दृष्टांत बन जाते हैं। बाद में जब कभी उसी विचार को अभिव्यक्त करना हो तो मूल प्रारूपकार उसी उपबंध को दोबारा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न करके, यथावत ग्रहण कर लेते हैं। परिवर्तन करने से गलती होने की

या अर्थ से विचलन हो जाने की संभावना–आशंका हो जाती है। इसलिए परवर्ती मूल प्रारूपकार द्वारा उस पूर्व–प्रयुक्त भाषा का ही उपयोग कर लिया जाता है।

जब किसी भी भाषा में अनुवाद के माध्यम से उसका प्राधिकृत पाठ तैयार किया जाता है तब अनिवार्य रूप से समान विचार के इन पूर्व–प्रयुक्त उपबंधों का प्राधिकृत पाठ में प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत सरकार के विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने कुछ मानक प्रारूपण खंडों को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया है। पूर्व–दृष्टांतों के रूप में आई सामग्री को प्राधिकृत पाठों से ही लेने की दृष्टि से ये प्रकाशित ग्रंथ उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त प्रारूपकार को चाहिए कि वह आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान करके नमूने खोज और उनका प्राधिकृत पाठ में उपयोग करे।

अगर प्रारूपकार को अधीनस्थ विधानों का प्राधिकृत पाठ तैयार करना पड़े तो उसे मूल अधिनियम के पाठ के आलोक में प्राधिकृत पाठ तैयार करना चाहिए। कुछेक अधिनियमों में केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण को अधीनस्थ विधान बनाने की शक्ति से संबंधित हैं, जिन्हें प्रत्यायोजित विधान भी कहा जाता है। प्रारूपकार द्वारा मूल अधिनियम के पाठ को केंद्र में न रखने पर मूल अधिनियम और अधीनस्थ विधान के उपबंध एक–दूसरे से मेल नहीं खाएँगे। ऐसे में अधीनस्थ विधान अवैध हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए उसे मूल पाठ के प्राधिकृत पाठ का अवलंब लेना चाहिए।

8. आवश्यकतानुसार लिप्यंतरण का सहारा लेना :

लिप्यंतरण का अर्थ है – किसी एक लिपि में लिखी सामग्री को दूसरी लिपि में लिख देना। जैसे, रोमन लिपि में लिखे 'Indira Gandhi' शब्दों को देवनागरी लिपि में 'इंदिरा गांधी' लिख देना। विधि अनुवादक से यह भी अपेक्षित होता है कि वह मूल सामग्री का केवल अनुवाद ही नहीं करे, आवश्यकता के अनुसार लिप्यंतरण का भी यथोचित सहारा ले। इस पक्ष पर विचार करते हुए श्री ब्रजकिशोर शर्मा ने अपनी पुस्तक 'विधि की शब्दावली और विधि का अनुवाद' में लिखा है कि 'जहाँ किसी निरसित अधिनियम के प्रति निर्देश किया जाता है और उस निरसित अधिनियम का हिंदी में प्राधिकृत पाठ तैयार नहीं किया गया है या तैयार नहीं किया जा सकता है वहाँ उस अधिनियम का नाम लिप्यंतरित किया जाना चाहिए अर्थात उसके मूल नाम को देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए।' (पृ.147)

विधि के क्षेत्र में मूल के लिप्यंतरण की स्थिति केवल एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रारूपण करते समय ही नहीं होती। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि मूल रूप से लिखे जाने वाले अधिनियम में प्रारूपकार अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी पर्याय को भी लिप्यंतरित रूप में शामिल कर लेता है। इसका मूल कारण यह होता है कि विधानमंडल मूल पाठ में किसी भी प्रकार की संदिग्धता से बचना चाहता है। विधि की भाषा में स्पष्टता–असंदिग्धता लाने के लिए इस प्रकार के प्रयास का भी अपना महत्व है। अगर विधि के प्रावधान में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्धता बनी रह जाती है तो उससे अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। इसलिए सावधानी बरतते हुए मूल में भी दोनों भाषाओं के शब्दों/अभिव्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, 'Forward Contracts (Regulation) Act 1952' की धारा 2 के खंड (6) में 'option in goods' की परिभाषा इस प्रकार है :

'Option in goods' means any agreement, by whatever name called for the purchase or sale to a right to buy or sell goods in future and includes a teji, a mandi, a teji-mandi, a gulli, a put, a call or a put and call in goods.'

'Option in goods' की उक्त परिभाषा में अंग्रेजी में 'put' और 'call' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो हिंदी के क्रमशः 'तेजी', 'मंदी' के अर्थ को ही व्यक्त करते हैं यानी ये हिंदी पर्याय हैं। इसलिए यदि इन अंग्रेजी अभिव्यक्तियों से पहले हिंदी में लिप्यंतरण न भी दिया जाता तो भी वे इन्हीं अर्थों के व्यंजक होते। इसलिए मूल प्रारूपण करते समय दोनों अभिव्यक्तियों का प्रयोग कर लिया गया ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्धार्थता न रहे।

इस प्रकार की स्थिति में, विधि–अनुवादक द्वारा लक्ष्य भाषा में प्राधिकृत पाठ तैयार करते समय भी दोनों ही अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अनुवाद सही तो हो ही, साथ ही किसी भी प्रकार की संदिग्धार्थता की गुंजाइश न रह जाए। इस आधार पर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय विधि–अनुवादक को हिंदी में 'put', 'call' तथा 'put and call' का उसी प्रकार लिप्यंतरण ('पुट', 'कॉल', 'पुट एंड कॉल') करके शामिल करना होगा जिस प्रकार अंग्रेजी प्रारूपकार ने मूल में 'तेजी' और 'मंदी' जैसे हिंदी शब्दों को अंग्रेजी पाठ में क्रमशः 'teji', 'mandi' और 'teji-mandi' लिप्यंतरित रूपों में शामिल किया हुआ है। सामान्य स्थिति में इनका भिन्नार्थ हो सकता है।

16.5 विधिक सामग्री का अनुवादः शाब्दिक या भावानुवाद?

अनुवाद कई प्रकार के होते हैं, किंतु उनमें से शब्दानुवाद और भावानुवाद मुख्य हैं। ज्ञान–विज्ञान की अन्य शाखाओं–प्रशाखाओं की भाँति विधि के अनुवाद के संबंध में यह विचार उभरता है कि विधि का अनुवाद शाब्दिक हो अथवा भावानुवाद।

वैसे, विधि–साहित्य के अनुवाद के समय शब्द की प्रधानता होती है क्योंकि विधि में शब्द ही विधि का नियंता होता है। विधि के क्षेत्र में शब्द के शाश्वत, सर्वोपरि, कालजयी, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान होने के कारण इसे 'ईश्वर' की संज्ञा प्रदान की जाती है। डॉ.बलबीर सिंह भटनागर ने 'विधि साहित्य का अनुवाद' शीर्षक अपने आलेख में लिखा है कि 'विधि के क्षेत्र में शब्दों का ही महत्व है। विधि में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो अतिव्याप्ति और अल्पव्याप्ति के दोषों से मुक्त होते हैं। विधि में वाक्य–विन्यास और प्रारूप पूर्णतया अलग प्रकार का होता है। शब्द बोलचाल के नहीं होते। साहित्य में एक ही शब्द का अथवा समानार्थी भिन्न शब्दों का प्रयोग बार–बार नहीं किया जाता। यह उसका दोष माना जाता है, परंतु कानून की भाषा में एक ही शब्द के अनेक पर्यायों का एक साथ प्रयोग कर उस बात को केंद्रित और सुपरिभाषित किया जाता है। कानून की यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।' (राजभाषा भारती, अप्रैल–जून 1994, पृ. 10) यही कारण है कि शब्द के अर्थ का अनर्थ, भ्रांति और उसके कारण अन्याय की आशंका की वजह से विधि के क्षेत्र में शब्दों को स्पष्ट एवं निश्चित अर्थ का व्यंजक होना आवश्यक माना जाता है।

दूसरी ओर, यह भी विचार व्यक्त किया जाता है कि विधि का अनुवाद शाब्दिक न होकर भावानुवाद हो। इसके मूल में यह भाव निहित है कि न्याय का निर्णय विधि की व्याख्या के अनुसार किया जाता है और विधि की व्याख्या शब्दों में निहित अर्थ के अनुसार की जाती है। इसलिए विधि की भाषा का अर्थ सहज और सुस्पष्ट होना चाहिए, जोकि भावानुवाद से संभव है। किंतु इससे विधि की विशुद्धता पर अतिक्रमण की आशंका बनी रहती है। डॉ. बलबीर सिंह भटनागर का उल्लेख किए गए आलेख में यही कहना है कि 'यदि विधि में भाषा की जगह केवल भाव लिए जाएँ, तो अनुवाद

एक सरल प्रक्रिया अवश्य बन जाती है, परंतु उसका विधिमूल्य कम हो जाता है।' (पृ. 11) इस दृष्टि से विधि के क्षेत्र में भावानुवाद भी स्वीकार्य नहीं है।

हालाँकि यह सही है कि विधि के क्षेत्र में 'शब्द' का विशेष महत्व है किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि भाव की ओर ध्यान ही न दिया जाए। विधि सामग्री का अनुवाद कार्य करते समय अनुवादक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अनुवाद भाव का कर रहा है न कि शब्दों का। कहने का अभिप्राय यह है कि अंग्रेजी के किसी अनुच्छेद, खंड अथवा वाक्य से जितने अर्थ का द्योतन होता है, ठीक उतना ही अर्थ हिंदी में अनूदित अनुच्छेद, धारा अथवा वाक्य से होना चाहिए। इसके लिए अनुवादक को शाब्दिक अनुवाद तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखना होता। उदाहरण के लिए, 'भारतीय दंड संहिता' की धारा 8 में यह उल्लेख है कि 'Gender – The pronoun 'he' and its derivatives are used of any person whether male or female' अंग्रेजी में 'he' और 'she' क्रमशः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्वनाम हैं। जबकि हिंदी में 'वह' सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस स्थिति में विधि–अनुवादक को शब्द के स्थान पर भाव को ग्रहण करते हुए इसका अनुवाद करना चाहिए – 'लिंग – पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी।'

वस्तुतः विधि के क्षेत्र में शब्द अथवा भाव के अनुवाद का प्रश्न दोनों के बीच के संबंध पर गंभीर विचार की अपेक्षा करता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने अपनी पुस्तक 'विधि अनुवाद : विविध आयाम' में जो सटीक विचार व्यक्त किए हैं, वे इस प्रकार हैं – 'विधि का हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। शब्द और अर्थ दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। इस प्रकार मेरी निजी राय में विधि के अनुवाद को समतुल्यता पर आधारित मूलनिष्ठ अनुवाद कहा जा सकता है।' (पृ.26) वास्तव में विधि का क्षेत्र ऐसा है जिसमें 'शब्दों' को छोड़कर और केवल 'भाव' का सहारा लेकर अनुवाद नहीं किया जा सकता और न ही 'भाव' को छोड़कर केवल 'शब्दों' के सहारे अनुवाद कार्य संभव हो सकता है। इसलिए विधिक सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक को सदैव शब्दानुवाद और भावानुवाद के बीच एक संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाता है।

16.6 विधि अनुवाद और विधि की भाषा–शैली

अनुवाद–कार्य करते समय स्रोत भाषा पाठ की शैली भी अनुवादक पर हावी रहती है। किंतु वह अनूदित संस्करण को सहज–संप्रेष्य बनाने के लिए मूल की शैली में परिवर्तन करते हुए अनुवाद–कार्य कर सकता है। किंतु विधि का अनुवाद करते समय (अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में प्राधिकृत पाठ तैयार करते समय) शैली को भी महत्व दिया जाता है। वैसे यदि इनमें से प्राथमिकता निर्धारित करने का प्रश्न खड़ा हो तो विधि–अनुवाद में शैली को गौण रखते हुए अर्थ को ही सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। अर्थ की सर्वोपरि सत्ता स्वीकारते हुए यदि सही अर्थाभिव्याक्ति में शैली का स्तर गिर जाता है तो भी अनुवादक को चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे तो अनुवादक का प्रयत्न यह होना चाहिए कि लक्ष्य भाषा पाठ में सही अर्थ की अभिव्यक्ति के साथ–साथ शैली भी उत्तम हो। और अगर अर्थ एवं शैली में से एक निर्वाह करना हो तो अर्थ के स्थान पर शैली में ही समझौते की संभावना रहती है। उदाहरण के तौर पर, हिंदी में निवेशित वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता। किंतु विधि के क्षेत्र में एक ही वाक्य में बहुत–सी बातें कहने के लिए विराम चिह्न के बीच इस प्रकार के उपवाक्यों को

रखकर अर्थ स्पष्ट करने का चलन है। हिंदी की प्रकृति के अनुरूप न होने के कारण ऐसे निवेशित वाक्यों के अनुवाद के दौरान वाक्य–रचना में परिवर्तन स्वीकार्य है। उदाहरण के लिए, 'Whenever a Magistrate is of opinion, after hearing the guilty.....evidence of prosecution and the accused' का अनुवाद 'जब कभी अभियोजन और अभियुक्त का साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अभियुक्त दोषी है' होगा।

सामान्य–जन की समझ में आने का प्रश्न :

विधि अनुवाद और विधि की भाषा–शैली का संदर्भ वास्तव में उसके सामान्य–जन की समझ में आने के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यही प्रश्न विधि का अनूदित पाठ सामान्य–जन को समझ में आने से भी जुड़ा हुआ है। किसी भी विषय अथवा सामग्री का अनुवाद करने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा अनूदित पाठ सामान्य व्यक्ति की समझ में आने वाला होना चाहिए। यही अपेक्षा विधि के विषय की गंभीरता–गूढ़ता को ध्यान में रखते हुए विधि–अनुवादक से भी की जाती है। जबकि वास्तविकता यह है कि विधि–अनुवादक केवल अनुवादक न होकर प्रारूपकार भी होता है। इसलिए उसे निर्वचन और प्रारूपण के सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। विधिक मीमांसाशास्त्र से पूर्णतः परिचित न होने की स्थिति में विधि–अनुवादक, विधि के सटीक अर्थ को सही तरह से अथवा पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। अनुवादक द्वारा निर्वचन और प्रारूपण के सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किए जाने के कारण सामान्य–जन की समझ में आने वाला विधि का प्रारूपण गौण हो जाता है। वैसे भी, भाषाविज्ञान के अनुसार भाषा–प्रयोग के तीन स्तर होते हैं। ये हैं – अनौपचारिक, औपचारिक और विशेष जानकारी या ज्ञान के आदान–प्रदान के स्तर। विशेष जानकारी अथवा ज्ञान के आदान–प्रदान के स्तर पर देखा जाए तो भाषा की अभिव्याक्ति करने वाला और जिसे वह संबोधित हो, वह भी विशेषज्ञ होता है। दोनों ही विशेषज्ञ अपने विषय की भाषा से पूरी तरह परिचित होते हैं। इस कारण वे दोनों अपने विषय से संबंधित प्रतीकों के माध्यम से चर्चा करते हैं। विधि के स्तर पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। इसलिए वर्तमान विधिक–प्रणाली में सामान्य–जन की समझ में आ जाने वाला विधि का प्रारूपण संभव नहीं है।

वाक्य–रचना शैली के अनुकरण का प्रश्न :

अंग्रेजी में लिखित विधि सामग्री का हिंदी में अनुवाद करते समय वाक्य–रचना शैली का अनुकरण नहीं किया जाता। शैली के इस प्रयोजन के लिए हिंदी में वाक्य–रचना में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, शैली को दृष्टि में रखते हुए विशेषण और क्रिया–विशेषण उपवाक्य को अर्थ–परिवर्तन किए बिना, हिंदी के स्वभाव के अनुरूप विशेष्य अथवा क्रिया के निकट रखा जा सकता है।

प्रत्येक भाषा का अपना वैशिष्ट्य होता है, अपना मुहावरा होता है। अनुवादक को ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्य भाषा में प्रयुक्त होने वाली अभिव्यक्तियाँ उस भाषा के प्रयोक्ताओं को अप्रिय प्रतीत न हों। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि अन्य भाषा–भाषियों को भी वे प्रिय ही लगें। यह बात अंग्रेजी और हिंदी भाषा–भाषियों पर भी लागू होती है। ऐसी अभिव्यक्तियों का अनुवाद करते समय शैली का अनुकरण करना आवश्यक नहीं है। ऐसे में अनुवादक को चाहिए कि वह ऐसी अभिव्याक्तियों के स्थान पर उसी अर्थ का द्योतन करने वाली प्रियकर अभिव्यक्तियों अथवा शब्दों का प्रयोग करे।

उदाहरण के लिए, अंग्रेजी की एक अभिव्यक्ति है – 'persons of either sex'। अंग्रेजी–भाषी प्रयोक्ता–वर्ग को यह अभिव्यक्ति अप्रिय प्रतीत नहीं होती। किंतु यदि इसका हिंदी अनुवाद 'चाहे वह किसी भी लिंग का हो' किया जाए तो वह हिंदी भाषा में सुरुचिपूर्ण प्रतीत नहीं होगा। ऐसे में अपने भाषिक मुहावरे को अपनाते हुए अनुवादक को इसका अनुवाद 'चाहे वह स्त्री हो या पुरुष' कर देना चाहिए जो कतई अप्रिय प्रतीत नहीं होगा।

आदरसूचक शब्द प्रयोग :

इसी प्रकार, आदरसूचक शब्दों को लिया जा सकता है। अंग्रेजी के 'you' सर्वनाम का हिंदी पर्याय 'तुम' है। किंतु भाषिक संस्कृति की भिन्नता के कारण हिंदी अनुवाद में 'तुम' के स्थान पर 'आप' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हिंदी–भाषी व्यक्ति यथासंभव ऐसा ही प्रयोग करते हैं। हिंदी अनुवाद में अंग्रेजी के 'you' शब्द के लिए सदैव 'आप' शब्द का ही प्रयोग किया जाता है – चाहे संबोधित व्यक्ति कोई उच्चाधिकारी हो या फिर अवर श्रेणी स्तर का कर्मचारी।

लेकिन विधि के अनुवाद में आदरपूर्वक संबोधन भी एक समस्या बनकर उभरते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय विधि–इतर सामग्री के अनुवाद में आने वाले आदरपूर्वक संबोधनों में संज्ञा के साथ क्रिया पद को बहुवचन रूप में रख दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में तो बहुवचन बनाते समय एकवचन संज्ञा के साथ 'एस' (-s) जोड़ दिया जाता है, किंतु हिंदी में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कुछ शब्द तो अपने बहुवचन में अपना रूप बदल लेते हैं जबकि कुछ उसी रूप में बने रहते हैं – उनके बहुवचन रूप का क्रिया से पता चलता है। उदाहरण के लिए 'भालू आया' से यह बोध होता है कि एक भालू आया था। और अगर इसे इस प्रकार लिखा जाए कि 'भालू आए' तो संज्ञा (अर्थात भालू) का रूप तो वही रहा किंतु क्रिया का रूप बदल कर 'आए' हो गया। यह हिंदी भाषा की प्रकृति और स्वभाव के अनुरूप है।

हिंदी भाषा की इसी प्रकृति–स्वभाव के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री आदि पदनामों को आदरपूर्वक संबोधित किया जाता है। इस कारण अधिकांशतः इन पदनामों के साथ आए क्रिया रूपों को एकवचन होने के बावजूद बहुवचन बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए 'राष्ट्रपति अगले माह अमेरिका जाएँगे।' इस वाक्य में आदरपूर्वक संबोधन की दृष्टि से 'जाना' क्रिया को बहुवचन रूप देते हुए 'जाएँगे' किया गया है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय भी सामान्य इसी का अनुसरण किया जाता है। किंतु जहाँ तक विधि–साहित्य के अनुवाद का संबंध है, इस प्रकार के आदरपूर्वक संबोधनों में संज्ञा के साथ क्रिया पद को बहुवचन रूप में न रखकर एकवचन रूप में ही रखा जाता है। भारतीय संविधान के अनुवाद में सर्वत्र इसी शैली का अनुसरण किया गया है। उदाहरण के तौर पर, मंत्रियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि 'The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.' इसका अनुवाद करते समय हिंदी में एकवचन का अनुपालन करते हुए 'करेगा' क्रिया को इस प्रकार रखा गया है – 'प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।'

नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक बनाना :

जिस प्रकार विधि–साहित्य का अनुवाद करते समय आदरपूर्वक संबोधनों में संज्ञा के साथ क्रिया पद को बहुवचन रूप में न रखकर एकवचन रूप में ही रखा जाता है,

उसी तरह से नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'No offence will be compounded except as provided by this section.' वाक्य का अनुवाद करते समय सजग प्रारूपकार इसके नकारात्मक पक्ष को सकारात्मक रूप प्रदान करते हुए इसका अनुवाद करेगा – 'अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं' रूप दिया जा सकता है।

इसी प्रकार, अंग्रेजी का 'unless' या 'untill' भी विधि अनुवाद में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। सामान्यतः अंग्रेजी के 'unless' शब्द वाले वाक्य का अनुवाद करते समय हिंदी में नकारात्मक वाक्य–रचना ही की जाती है। उदाहरण के लिए, '….unless he is a soldier' का अनुवाद होगा – '..... जब तक कि वह सैनिक नहीं है।' किंतु यदि अंग्रेजी में 'unless' शब्द के साथ–साथ निषेधात्मक भाषा का प्रयोग हुआ हो तो ध्यान देने की बात यह है कि वह वाक्य नकारात्मक अर्थाभिव्यंजक नहीं रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंग्रेजी के व्याकरण नियम के अनुसार दो निषेध मिलकर साधारण वाक्य बनाते हैं। ऐसी स्थिति में सजग अनुवादक शब्दों में न उलझकर अर्थ ग्रहण करते हुए वाक्य–रचना को हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुकूल ढालता है ताकि अर्थ की क्षति भी न हो और भाषा में बोझिलता भी न आए। ऐसा ही एक उदाहरण है:

मूल : 'Provided that no such prohibition or requirement shall be made unless the Central Government is satisfied that the acceptance of foreign contribution by such association or person or class of persons or, as the case may be, the acceptance of foreign hospitality by such person, is likely to affect prejudicially -'

अनुवाद : 'परंतु ऐसा कोई प्रतिषेध या ऐसी कोई अपेक्षा तब की जाएगी जब केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि यथास्थिति, ऐसे संगम या ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार किए जाने से अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, अर्थात् –'

वाक्य–गठन संबंधी व्याकरणिक भिन्नता को ध्यान में रखना :

प्रत्येक भाषा के गठन की अपनी विशेषता होती है। वाक्य–गठन संबंधी वैशिष्ट्य से भाषाओं में अंतर आ जाता है। इस अंतर या भिन्नता के कारण अनुवाद करते समय समस्याएँ पैदा होती हैं। वाक्य–गठन की भिन्नता, विशेष तौर पर विधि के क्षेत्र में, विकराल समस्या है। भारत में विधि–सामग्री की स्रोत भाषा अंग्रेजी बनी हुई है और इस सामग्री का लक्ष्य भाषा अर्थात् हिंदी में अनुवाद किया जाता है। अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा में वाक्य–गठन में काफी अंतर है। इन दोनों भाषाओं के व्याकरण, पद, पदक्रम एवं संरचना आदि में जो अंतर विद्यमान हैं उनके कारण दोनों भाषाओं के वाक्य–गठन में भिन्नता आना स्वाभाविक है। अंग्रेजी में मूल प्रारूपण करते समय अभी भी आम तौर पर ब्रिटिश प्रारूपण प्रणाली को ही अपनाया जाता है यानी धाराओं आदि को लंबे, जटिल और घुमावदार वाक्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के प्रारूपण की छाया अनुवाद में भी परिलक्षित होना स्वाभाविक है। अंग्रेजी में अनेक बार अत्यंत लंबे–लंबे वाक्य प्रयुक्त होते हैं। किंतु उनका हिंदी अनुवाद कभी–कभी अत्यंत जटिल, कठिन अथवा दुर्बोध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, संविधान के अनुच्छेद 312 की मूल सामग्री एवं उसका हिंदी अनुवाद देखा जा सकता है :

मूल : 'All India Services – (1) Notwithstanding anything in Chapter VI of Part XI, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest to do so Parliament may by law provide for the creation of one or more all India Services (including an all India Judicial Service) common to the Union and the State, and subject to the other provisions of this Chapter, regulate the recruitment and the conditions of service of persons appointed to any such service.'

अनुवाद : 'अखिल भारतीय सेवाएँ (1) भाग 6 के अध्याय 6 के भाग 11 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो–तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो संसद, विधि द्वारा, संघ और राज्यों के लिए साम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के (जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है) सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी।'

इस उदाहरण में लक्ष्य भाषा हिंदी की संरचना स्रोत भाषा अंग्रेजी से साफ तौर पर प्रभावित नजर आती है। इस कारण हिंदी अनुवाद जटिल प्रतीत होता है। यह जटिलता वस्तुतः विधि–अनुवाद में स्रोत एवं लक्ष्य भाषा के वाक्य गठन में अंतर के कारण ही निर्मित होती है। ऐसे में प्रश्न यह उभरता है कि क्या विधि सामग्री के लंबे–घुमावदार वाक्यों को तोड़कर अनुवाद किया जा सकता है? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि जब किसी धारा, उपधारा अथवा खंड में ऐसा वाक्य होता है तो उसे तोड़कर अनूदित किया जा सकता है। किंतु वाक्य तोड़कर अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा करने से कहीं खंड की संख्या में तो अंतर नहीं आ रहा, मूल के किसी अर्थ में हानि तो नहीं हो रही, उसका अर्थ परिवर्तित तो नहीं हो रहा। वाक्य को तोड़कर अनुवाद करने का एक उदाहरण संसद के समक्ष नियम रखने से संबंधित खंड को लिया जा सकता है। वह छपे हुए रूप में तीन पंक्तियों का एक अंग्रेजी वाक्य है, जबकि इसे तोड़कर हिंदी में तीन वाक्यों में अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार से किया गया निम्नलिखित अनुवाद देखा जा सकता है जिसमें अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए अपेक्षाकृत अधिक सहज एवं बोधगम्य अनुवाद किया गया है :

मूल : 'AND WHEREAS the Government has agreed to advance to the Borrower, the sum of Rs……. (Rupees……..only) vide the Ministry/Office……. letter O.M.No. …….. dated…… a copy of which is annexed to these presents for the purposes aforesaid on the terms and conditions set forth therein, a copy whereof is annexed hereto.'

अनुवाद : 'सरकार, उधार लेने वाले को.....रुपए (केवल.....रुपए) की रकम अग्रिम देने के लिए सहमत हो गई है। इस संबंध में .....मंत्रालय/कार्यालय का तारीख.....का पत्र/कार्यालय ज्ञापन सं.....देखिए, जिसकी एक प्रति इस विलेख से संलग्न है। सरकार यह अग्रिम उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए और

उन निबंधनों और शर्तों पर देने के लिए सहमत हुई है जो उक्त पत्र/कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित हैं, जिनकी एक प्रति इससे संलग्न है।'

इस प्रकार, मूल के किसी अर्थ को क्षति पहुँचाए बिना बहुत सीमित स्थितियों में विधि अनुवाद में सरलीकरण किया जा सकता है। विधि की जटिल–दुरूह वाक्य रचना का प्रभाव प्रशासन के क्षेत्र में भी नजर आता है। हालाँकि दोनों का क्षेत्र अलग–अलग है, किंतु विधि का कार्यान्वयन प्रशासन में किया जाता है इसलिए प्रशासन की भाषा पर विधि की शब्दावली और प्रकृति का प्रभाव परिलक्षित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर,

मूल : 'Persons already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises are, however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their head of office/department that they have applied for the examination.'

अनुवाद : 'जो लोग पहले से सरकारी सेवा में हैं, भले ही वे स्थायी या अस्थायी हैसियत में या अनियत मजदूरी अथवा दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों से भिन्न कार्य प्रभारित कर्मचारी हों या सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन कार्यरत हों, उन्हें एक वचनबद्धता–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को लिखित रूप से सूचना दे दी है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।'

उक्त अनुवाद में वाक्य की लंबाई ज्यादा है। इसलिए कथ्य को समझने में काफी देर लगती है। इस हिंदी अनुवाद को पढ़कर यह पता नहीं चल पा रहा है कि विभिन्न प्रकार के सरकारी कर्मचारियों में से किन–किन को यह अभीष्ट सूचना दी जानी है। इसलिए यदि उक्त अंग्रेजी वाक्य का अनुवाद दो वाक्यों में निम्नलिखित प्रकार से किया जाए तो वह अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होगा :

प्रस्तावित अनुवाद : 'जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उन्हें यह वचनबद्धता–पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को इस बात की लिखित सूचना दे दी है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। यह वचनबद्धता–पत्र स्थायी और अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य–प्रभारित कर्मचारियों (वे कर्मचारी जिन्हें कार्य के आधार पर वेतन दिया जाता है) या सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन सेवारत व्यक्तियों को भी प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त कार्य–प्रभारित कर्मचारियों में अनियत अथवा दैनिक अदायगी की दर पर कार्य करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं।'

मौलिक लेखन में वाक्य–रचना को भाषा के स्वभाव के अनुरूप रखकर तो लेखन कार्य किया ही जाता है, अनुवाद में भी इस तथ्य को ध्यान में रखा जाता है। सजग प्रारूपकार तो कभी–कभी प्राधिकृत पाठ की वाक्य–रचना को मूल भाषा से भिन्न भी कर देता है। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त 'except' शब्द अपवाद का अर्थाभिव्यंजक है, जिसकी हिंदी की वाक्य–रचना की प्रकृति के अनुरूप अभिव्यक्ति हिंदी अनुवाद में द्रष्टव्य है :

मूल : 'No organisation of a political nature, not being a political party, shall accept any foreign contribution except with the prior permission of the Central Government.'

अनुवाद : 'राजनीतिक प्रकार का कोई संगठन जो राजनीतिक दल नहीं है, किसी भी प्रकार का विदेशी अभिदाय केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्वीकार नहीं करेगा।'

कर्तृवाच्य का प्रयोग (कर्तरि प्रयोग)

प्रत्येक भाषा में रचित वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसी एक की प्रधानता रहती है। कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को कर्तृवाच्य (Active Voice) कहते हैं। इसे 'कर्तरि प्रयोग' भी कहा जाता है। वहीं जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से हो, वह 'कर्मवाच्य' (Passive Voice) कहलाता है। इसे 'कर्मणि प्रयोग' भी कहा जाता है। अगर हम यह कहें कि 'राम ने रावण को मारा' तो यह कर्तृवाच्य है जबकि 'राम के द्वारा रावण मारा गया' कहना कर्मवाच्य है। इसी प्रकार 'I have done this work' वाक्य Active Voice (कर्तृवाच्य) है जबकि 'The work has been done by me' वाक्य Passive Voice (कर्मवाच्य)।

जहाँ तक प्रशासन के क्षेत्र का संबंध है, इसमें कर्ता–रहित कर्मवाच्य वाक्यों के प्रयोग की बहुलता देखी जा सकती है। इसका कारण यह है कि प्रशासन में अधिकार व्यक्ति में निहित न होकर पद में निहित होता है। इसलिए अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय नहीं लेता है। इस कारण प्रशासन की भाषा में कार्य करने वाला व्यक्ति लुप्त अथवा अप्रत्यक्ष रहता है। तदनुसार कार्यालयी भाषा में वाक्य–रचना कर्ता–रहित होती है, वह कर्मवाच्य वाली नजर आती है। जैसे, 'early action in the matter is requested', 'orders may be issued to reinstate him', 'effective steps should be taken to clear the arrears', 'suggestions may be accepted', 'explanation from the defaulter may be obtained', 'instructions are solicited' आदि। इस प्रकार के अंग्रेजी के कर्मवाच्य वाले वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करते समय कर्मवाच्य में ही अनुवाद करना आवश्यक नहीं है।

अंग्रेजी भाषा के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार उसमें कर्मवाच्य के प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक है, जबकि हिंदी में स्वाभाविक प्रवृत्ति कर्तृवाच्य की है। अंग्रेजी के इस प्रभाव को हिंदी में कर्मवाच्य प्रयोग की बहुलता के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की प्रवृत्ति के कारण 'द्वारा' शब्द वाले वाक्यों अर्थात कर्मवाच्यों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। जबकि अनुवादक को अपनी भाषा की स्वाभाविकता का आधार लेकर चलना चाहिए और इस प्रकार की भाषा से बचना चाहिए ताकि अनुवाद पर अंग्रेजी की छाया न पड़े और लक्ष्य भाषा 'अनूदित हिंदी' का रूप न ले। अगर अनुवादक इस दिशा में थोड़ी–सी सावधानी बरते तो वह हिंदी की प्रकृति के अनुरूप कर्तृवाच्य में वाक्य–रचना कर सकता है। विधि–अनुवादक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान के हिंदी संस्करण में इस तथ्य का ध्यान रखा गया है। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 124 (2) का कर्मवाच्य में अनुवाद न करके कर्तृवाच्य में इस प्रकार अनुवाद किया गया है :

मूल : 'Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and of the High Courts in the States as the President may deem necessary……..'

अनुवाद : 'उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना

आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा....।'

16.7 विधि–अनुवाद की चुनौतियाँ

विधि का क्षेत्र देखने में छोटा नजर आता है, जबकि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विधि में मनुष्य के कार्यों को संचालित करने, उनके आचरण–व्यवहार को नियंत्रित रखने वाले कानून शामिल हैं। इसलिए जहाँ मानव–जीवन के अंतरंगतम एवं सूक्ष्मतम विषय तक विधि में विचारणीय हो जाते हैं वहीं यह व्यापक क्षेत्र विधि के अनुवाद की समस्याओं को बढ़ाता भी है। वस्तुतः विधि के अनुवाद की समस्याएँ भी काफी हैं और अनुवादक कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। विधि–विषयक सामग्री जिस क्षेत्र अथवा विषय से संबंधित हो, उसमें आने वाली समस्याएँ भी उसी प्रकार की हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्तराधिकारी, विवाह–तलाक आदि से संबंधित कानूनों के अनुवाद में आने वाली समस्याएँ संसद के किसी नियम अथवा अधिनियम अथवा संविधान संशोधन के अनुवाद में आने वाली समस्याएँ जैसी नहीं होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि विषय–वस्तु के अनुसार विधि–अनुवाद की समस्याओं में भिन्नता आ जाती है। किंतु फिर भी, यहाँ विधि–अनुवाद संबंधी उन समस्याओं को विवेचित किया जा रहा है जो कमोबेश सभी प्रकार के विधि–अनुवाद में विद्यमान नजर आती हैं। अपने इस अध्ययन–विवेचन में यहाँ अंग्रेजी–हिंदी अनुवाद के संदर्भ में चर्चा की जा रही है।

16.7.1 सामान्य बोलचाल के विशेष अर्थाभिव्यंजक शब्द

अनुवाद कार्य करते समय अनुवादक मूल पाठ में आए ऐसे बड़े एवं कठिन शब्दों के प्रति विशेष तौर पर सतर्क रहते हुए उनका शब्दकोश की सहायता से सही अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं, जिनका प्रयोग कम होता है। किंतु बहुधा सरल प्रतीत होने वाले शब्द अनुवादक को अक्सर धोखे में डाल देते हैं। विधि का अनुवाद–कार्य करते समय अनुवादक इस समस्या से बच नहीं पाता। विधि के क्षेत्र से संबंधित सामग्री में सामान्य बोलचाल के कुछ शब्दों के विशेष अर्थ होते हैं। यदि अनुवादक उस विशेष का अर्थ नहीं समझ पाएगा और उसके सरल शब्द मानते हुए उसका अनुवाद कर देगा तो वह निश्चित तौर पर गलत अनुवाद होगा। उदाहरण के तौर पर, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में प्रयुक्त 'farmer' शब्द को लिया जा सकता है। दिखने में सरल इस शब्द का हिंदी अनुवाद 'कृषक' बनता है। किंतु यहाँ यह धोखे में डाल रहा है क्योंकि यहाँ इसका अर्थ 'कृषक' न होकर उस व्यक्ति से है जो लगान वसूल करके सरकार को जमा करता है। इसी प्रकार, अंग्रेजी के 'assurance' शब्द को लिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 299 में इसका अर्थ 'बीमा' न होकर 'हस्तांतरण पत्र' है। विधि में उस दस्तावेज को 'assurance' कहते हैं जब भूमि, भवन का विक्रय, बंधक आदि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को वह अंतरण किया जाता है। अनुवादक यदि इस पक्ष की ओर ध्यान नहीं देता और 'assurance' शब्द को सरल–सीधा मानते हुए 'बीमा' अनुवाद कर देता है तो इससे अनुवाद गलत हो जाता है। इसलिए विधि के अनुवाद–कार्य में अनुवादक को निरंतर जागरूक रहना आवश्यक रहता है और उसे संदर्भ के आधार पर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि कहीं मूल पाठ में आए सामान्य शब्द का उस संदर्भ में कोई विशेष अर्थ तो नहीं है और अगर विशेष अर्थ है तो वह उसका सामान्य हिंदी प्रतिशब्द न देकर विशेष अर्थाभिव्यंजक प्रतिशब्द ही प्रयुक्त करे।

16.7.2 संकल्पनात्मक शब्दों के अनुवाद का प्रश्न

अधिकांशतः अनुवादक ऐसे शब्दों को स्रोत भाषा से आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर सकता है जो संकल्पना के द्योतक तो नहीं हैं किंतु वस्तु आदि का नाम है या फिर इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द है। हिंदी में इस प्रकार के अनेक शब्द प्रचलित हैं। विधि के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के अनेक शब्द देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अंग्रेजी के 'draft', 'platform', 'rail', 'bank', 'cheque', 'policy' और अरबी–फारसी आदि भाषाओं के 'बहस', 'जिरह', 'असल', 'नकल', 'मुद्दई', 'मुद्दालय', 'जमानत', 'अर्जी', 'मुखबिर', 'वकील' आदि शब्दों को लिया जा सकता है। ऐसे शब्दों का अनुवाद न करके केवल लिप्यंतरण कर दिया जाता है। किंतु यदि स्रोत भाषा का शब्द–विशेष किसी संकल्पना (concept) का द्योतक हो तब उसे यथावत ग्रहण करते हुए लिप्यंतिरत न करके उसका अनिवार्य रूप से अनुवाद किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 'right', 'law', 'property', 'tort', 'duty', 'transfer', 'contract' आदि शब्दों को देखा जा सकता है, जिन्हें यथावत ग्रहण करते हुए लिप्यंतरित न करके क्रमशः 'अधिकार', 'विधि', 'संपत्ति', 'अपकृत्य', 'कर्तव्य', 'अंतरण', 'संविदा' पर्याय निर्धारित किए गए हैं। कारण, जो शब्द संकल्पना की ओर इंगित करते हैं उनसे अन्य शब्द उपजने की संभावना काफी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, उनसे मिलती–जुलती संकल्पनाओं के लिए शब्द खोजकर उनका प्रयोग करना पड़ता है। इस कारण संकल्पना के प्रतीक स्रोत भाषा के मूल शब्द को यथावत ग्रहण न करके उसका अनिवार्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए। किंतु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब पूर्व–निश्चित शब्दावली का अभाव हो।

16.7.3 मिलते–जुलते अर्थाभिव्यंजक (संस्पर्शी) शब्दों का चयन

जैसा कि 'संकल्पनाओं के अनिवार्यतः अनुवाद' पर विचार व्यक्त करते समय यह संकेत किया गया है कि अनुवादक स्रोत भाषा से आवश्यकता के अनुसार ऐसे शब्दों ग्रहण कर सकता है जो संकल्पना के द्योतक तो नहीं हैं किंतु वस्तु आदि के नाम अन्यथा इसी प्रकार के अन्य शब्द को। इसी तरह जब प्रायोगिक रूप से स्रोत भाषा के शब्द के प्रतितुल्य कोई प्रतिशब्द रखा जाता है तब उसी समय उस संकल्पना के मिलते–जुलते अर्थ व्यक्त करने वाले सभी संस्पर्शी शब्दों पर भी विचार कर लेना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि उस शब्द–विशेष के निकट अर्थाभिव्यंजक सभी शब्दों पर एक–साथ विचार करके ही प्रतिशब्द रूढ़ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 'evidence' को लिया जा सकता है। 'evidence' शब्द के लिए 'साक्ष्य' शब्द रखा गया है। 'evidence' से मिलते–जुलते शब्द 'deposition', 'testimony' और 'protest' के लिए क्रमशः 'अभिसाक्ष्य', 'परिसाक्ष्य' और 'प्रसाक्ष्य' निर्धारित हैं। इसी प्रकार, 'Legislation' और 'Constitution' संस्पर्शी शब्दों के लिए हिंदी के क्रमशः 'विधान' और 'संविधान' शब्द और 'Act', 'rule', 'sub-rule', 'regulation', statute (of a university) के लिए क्रमशः 'अधिनियम', 'नियम', 'उपनियम', 'विनियम' और 'परिनियम' तथा 'coercion', 'presure', 'duress', 'compulsion', 'influence' के लिए क्रमशः 'प्रपीड़न', 'दबाव', 'विबाध्यता', 'अनिवार्यता' और 'असर' हैं। परस्पर संबंधित संकल्पनाओं की भिन्नता को प्रकट करने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करके या फिर धातु में भेद करके शब्द–रचना के उदाहरण भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए, 'Act', 'rule', 'sub-rule', 'regulation', statute (of a university) के लिए क्रमशः 'अधिनियम', 'नियम', 'उपनियम', 'विनियम' और 'परिनियम' या फिर 'review' और 'revision' के लिए क्रमशः 'पुनर्विलोकन' और पुनरीक्षण' शब्द हैं। इसलिए जब भी पूर्व–निश्चित शब्दावली का अभाव हो तब उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही शब्द–चयन किया जाना चाहिए।

16.7.4 शब्दों का विश्लिष्ट प्रयोग

अर्थ की निश्चितता विधि शब्दावली में अनिवार्य होती है। किंतु अनुवाद करते समय कभी–कभी भाषा के वैशिष्ट्य के कारण कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं। उनमें से एक कठिनाई शब्दों के विश्लिष्ट प्रयोग से संबंधित है, 'मूल शब्द एक और पर्याय अनेक' वाली स्थिति है। यानी किसी भाषा में प्रयुक्त शब्द के लिए लक्ष्य भाषा में एक शब्द नहीं होता। ऐसे में या तो अनुवादक को मूल भाषा के शब्दों को अपनाना पड़ता है या फिर उसके स्थान पर लक्ष्य भाषा के एक से अधिक उपलब्ध शब्दों को प्रयुक्त करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान की धारा 6 (क) में अंग्रेजी में 'Grand parent' शब्द का प्रयोग हुआ है। इस एक मूल शब्द के लिए हिंदी में अनेक पर्यायों के कारण चार शब्द रखने पड़े हैं – 'पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही।'

16.7.5 अपर्याप्त मानक शब्दावली

विधि संबंधी मानक शब्दावली की अपर्याप्तता को विधि–अनुवाद की प्रमुख समस्या कहा जा सकता है क्योंकि विधि–अनुवादक को स्थान–स्थान पर तत्संबंधी मानक शब्दावली की आवश्यकता महसूस होती है। पर्याप्त मानक शब्दावली की उपलब्धता जहाँ विधि–अनुवाद को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होती है वहीं इसके अभाव में विधि–अनुवाद जैसा जटिल कार्य कठिन से कठिनतर बन जाता है। विधि संबंधी सामग्री के अनुवाद में, अनुवादक को मूल शब्द के लिए उपलब्ध पर्यायों में से किसी उपयुक्त पर्याय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती। उसे मानक शब्दावली में से ही पर्याय–चयन करना अनिवार्य होता है। इसमें मानक शब्द के स्थान पर अन्य पर्याय के प्रयुक्त होने से किसी निरपराधी को सजा और अपराधी को मुक्ति तक मिलने की आशंका रहती है। इसलिए विधि के क्षेत्र में मानक शब्दावली का असाधारण महत्व है।

हालाँकि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान विधि संबंधी मानक शब्दावली का अभाव विधि–अनुवाद की मुख्य समस्या थी, किंतु स्वाधीनता–प्राप्ति के पश्चात विधायी आयोग की स्थापना और वर्ष 1961 से इस आयोग द्वारा मानक शब्दावली के निर्माण से मानक शब्दावली की अपर्याप्तता की स्थिति में काफी हद तक बदलाव हुआ है। विधि मंत्रालय के विधायी खंड ने 'विधि शब्दावली' तैयार की और अब तक इसके छह संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। किंतु हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अब भी स्रोत भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत करने के स्थान पर उसे लक्ष्य भाषा (अर्थात अनुवाद की भाषा) के रूप में रखा गया है। जबकि नियमों–अधिनियमों एवं विधान तो निरंतर बनाए जाते हैं और बनाए जाते ही रहेंगे। ऐसे में हिंदी में अद्यतन मानक शब्दावली का अभाव खलता है। जब तक विधि के क्षेत्र में हिंदी स्रोत भाषा के रूप में कार्य नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

16.7.6 पारिभाषिक शब्दावली में एकरूपता का अभाव

विधि–अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली की एकरूपता का अभाव एक प्रमुख समस्या है। पारिभाषिक शब्दावली की अनेकरूपता से जहाँ विधि संबंधी अनुवाद कार्य करने में कठिनाई होती है वहीं दूसरी ओर इससे भ्रम भी पैदा होता है। उदाहरण के तौर, 'civil' के लिए 'दीवानी', 'व्यवहार' और 'सिविल' पर्याय की उपलब्धता। इसी प्रकार 'order' के लिए 'क्रम' और 'आदेश', 'rigorous imprisonment' के लिए 'कठोर या सश्रम कारावास' तथा 'कठिन कारावास', 'receiver' के लिए 'आदाता' और

'प्रापक/प्राप्तकर्ता/पाने वाला' शब्द, 'registration' के लिए 'पंजीकरण', 'रजिस्ट्रेशन' और 'रजिस्ट्रीकरण' शब्द, 'charge' के लिए 'भार', 'आरोप', 'भारबोधन', 'भारसाधन', 'invalidity' के लिए 'अविधिमान्यता', और 'अशक्तता', 'constitution' के लिए 'संविधान' और 'गठन', या फिर 'return' के लिए 'लौटना', 'लौटाना', 'विवरणी', 'निर्वाचित होना' आदि। पारिभाषिक शब्दावली की एकरूपता का अभाव विधि की भाषा की विशेषता के अनुरूप तो कतई नहीं है ही, विधि–अनुवादक के लिए भी एक समस्या है।

16.7.7 विशिष्ट पदों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग

किसी भी विधेयक अथवा अधिनियम आदि का प्रारूपण करते समय प्रारूपकार उसे कई खंडों में विभजित करता है। प्रारूपकार मूल में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ विशिष्ट शब्दों अथवा पदावलियों का प्रयोग करता चलता है। अंग्रेजी में इस प्रकार के विशिष्ट प्रयोग का प्रयोग सहज रूप से देखा जा सकता है। ये विशिष्ट प्रयोग स्वयं में मानक अभिव्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। हिंदी में विधि शब्दावली तैयार करते समय ऐसे विशिष्ट शब्दों के लिए मानक अभिव्यक्ति निश्चित की जा चुकी है, मानक अनुवाद तैयार किया जा चुका है। विधि–अनुवादक को चाहिए कि वह सर्वत्र उन मानक अभिव्यक्तियों का ही प्रयोग करे ताकि इससे भाषा में एकरूपता आए और अनेकार्थता के दोष से बचा जा सके। ऐसा नहीं करने की स्थिति में निर्वचन के नियमों के अनुसार यह उपधारणा कर ली जाएगी कि प्रारूपकार का उद्देश्य कुछ और अर्थ देना था। इसलिए किसी भी प्रकार की संदिग्धता से बचने के लिए अभिव्यक्तियों के मानक अनुवाद का सर्वत्र प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए,

'As the case may be'	–	'यथास्थिति'
'Except as expressly provided'	–	'यथा उपबंधित के सिवाय'
'shall be read over'	–	'पढ़कर सुनाया जाएगा।'
'liable to be fined'	–	'जुर्माना देने के लिए दायी'
'unless otherwise agreed'	–	'जब तक कि अन्यथा करार न हो'
'wilful neglect of duty'	–	'कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा'
'so far as may be practicable'	–	'जहाँ तक साध्य हो'
'Unless the contrary is proved'	–	'जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है'
'Untill Parliament by law otherwise provides'	–	'जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक'
'Notwithstanding anything in this article'	–	'इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी'
'Be it enacted by Parliament in the……..year of the Republic of India as follows'	–	'भारत गणराज्य.....वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो..'

'It shall extend to whole territory of India except the State of Jammu & Kashmir' –	'इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र पर है।
'This Act may be called …….. Act, 1996' –	'इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ..... अधिनियम, 1996 है'

16.7.8 दूरस्थ–दोष का परिहार

अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनूदित संस्करण में भाषिक संरचना तथा लोक–व्यवहार की दृष्टि से स्वीकार्य भाषिक प्रयोग को स्थान दे। अनुवाद में भाषिक–संरचना दूरस्थ दोष वाली नहीं होनी चाहिए। इस दूरस्थ दोष को कर्ता या कर्म के साथ विभक्ति की दूरी, विशेषण को विशेष्य की दूरी आदि के संदर्भ में देखा जा सकता है।

अनुवादक को चाहिए कि वह विभक्ति को कर्ता अथवा कर्म से विलग नहीं करे। यदि वह ऐसा करता है तो इससे सुपाठ्यता में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए, 'उस आदमी, जिसे आए अभी दो दिन भी नहीं हुए, को मैं क्या समझाऊँ?' वाक्य में 'को' विभक्ति 'आदमी' शब्द से बहुत दूर हो गई है। इस वाक्य का गठन यदि इस प्रकार किया जाता तो वह अधिक सुपाठ्य हो जाता – 'उस आदमी को मैं क्या समझाऊँ जिसे आए अभी दो दिन भी नहीं हुए।' विधि संबंधी वाक्य लंबे और जटिल होते हैं, इसलिए इस प्रकार की भूल होने की संभावना बढ़ जाती है।

इसी प्रकार, जब वाक्य में क्रिया कृदंत रूप में होती है तो वह जिस संज्ञा से संबद्ध होती है उसके निकट ही रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 'कोई व्यक्ति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए उस अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालय या स्थापन, जहाँ वह मोटरयान चलाना सीखना चाहता है, स्थित है।' वाक्य में 'स्थित है' शब्द के स्थान को परिवर्तित करने पर वाक्य सुपठनीय हो जाता है – 'कोई भी व्यक्ति 'शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति' के लिए उस अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालय या स्थापन स्थित है, जहाँ वह मोटरयान चलाना सीखना चाहता है।'

इसी तरह से जहाँ तक संभव हो, हिंदी वाक्य संरचना में विशेषण को विशेष्य के निकट ही रखा जाना चाहिए। जैसे 'कोई व्यक्ति प्रेक्षागृह में प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास मोबाइल फोन है।' इसमें 'मोबाइल फोन' विशेषण है और 'व्यक्ति' विशेष्य। इस वाक्य में व्याप्त दूरस्थ दोष का परिहार करते हुए विशेषण को विशेष्य के निकट लाना बेहतर है। इस आधार पर बेहतर वाक्य–रचना इस प्रकार होगी – 'कोई व्यक्ति जिसके पास मोबाइल फोन है, प्रेक्षागृह में प्रवेश नहीं करेगा।'

16.7.9 अनुपूरक सामग्री की अनुपलब्धता

मूल प्रारूपकार विचार–विशेष की अभिव्यक्ति के लिए उपबंधों को पूर्व–दृष्टांतों के रूप में स्वीकारते हुए उसमें परिवर्तन किए बिना यथावत उतार लेते हैं, पूर्व–प्रयुक्त भाषा का ही उपयोग करते हैं। इससे जहाँ विचलन की संभावना समाप्त होती है वहीं एकरूपता भी स्थापित होती है। हिंदी में सभी केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ राष्ट्रपति के प्राधिकार से राजभाषा नियमों की धारा 5(1) के अधीन प्रकाशित हो चुके हैं। नए अधिनियमों में इन प्रकाशित अधिनियमों की धाराओं, उपधाराओं, पद और शब्दों की आवश्यकता पड़ ही जाती है। इस कारण अनुवादक को इस बात का ध्यान रखना

चाहिए कि कौन–सी धाराएँ पहले अधिनियमित होकर एक प्रकार से मानकीकृत हो चुकी हैं। अनुवाद को ऐसे मानकीकृत अनुवादों का नए सिरे से अनुवाद करने के स्थान पर उन्हें हूबहू उतार लेना चाहिए। अनुवादक को स्रोत भाषा पाठ में आए पूर्व–दृष्टांतों और नमूनों के लक्ष्य भाषा पाठ में तैयार संस्करण का उपयोग करना चाहिए। अनुवादक के लिए ये पूर्व–दृष्टांत एवं नमूने आदि अनुपूरक सामग्री का काम करते हैं। भारत सरकार के विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने कुछ मानक प्रारूपण खंडों को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया है। पूर्व–दृष्टांतों के रूप में प्रयुक्त सामग्री को प्राधिकृत पाठों से ही लेने की दृष्टि से ये प्रकाशन उपयोगी हैं। किंतु इसके बावजूद अनुवादक के समक्ष वस्तुस्थिति यह हो जाती है कि उसे इस प्रकार की अनुपूरक सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। यह समस्या प्रादेशिक विधियों के हिंदी में प्रकाशित पाठों के संदर्भ में विशेष तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि हिंदी राज्यों में भी प्राधिकृत पाठों के नाम में अंतर को केंद्र में बैठा अनुवादक जान नहीं पाता।

इसी समस्या का एक अन्य पक्ष पूर्व–प्रकाशित अधिनियमों और नियमों के हिंदी प्राधिकृत पाठ से संबंधित है। जिन अधिनियमों और नियमों के हिंदी प्राधिकृत पाठ (अनुवाद) प्रकाशित हो चुके हैं, उनमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों का अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष मूल विधि और मूल प्राधिकृत पाठ की अलभ्यता समस्या बन जाती है। इनके बिना संशोधित अंश का अनुवाद करने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। विधि के अनुवादक को अधिनियम, नियम आदि की नामवाचक संज्ञाओं, साधारण खंड और प्रयुक्तियों को उसी रूप में लिखना चाहिए जैसे कि वे मूल अधिनियम–नियम आदि में हों, उन्हें अपने ढंग से अनूदित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वे निर्वचन के निकष पर परखे जा चुके होते हैं और एक सुनिश्चित अर्थ के वाहक बन जाते हैं।

16.7.10 मूल प्रारूपण की समस्या

विधि–अनुवाद के क्षेत्र में सबसे जटिल समस्या मूल प्रारूपण की है। यह सही है कि मूल प्रारूपण भले ही किसी भी भाषा में क्यों न हो, उसे लक्ष्य भाषा में लाना अक्सर कठिन कार्य होता है। विधि संबंधी सामग्री में अभिधापरकता का महत्व होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में विधि–अनुवाद का विचार करते समय यह कहना अनुचित नहीं है कि हमारे यहाँ विधि–सामग्री का निर्माण मूल रूप से अंग्रेजी में होता रहा है। विधान मंडलों एवं मुख्य रूप से देश की संसद द्वारा संविधि (Statutory Law) का अंग्रेजी भाषा में निर्माण किया जाता है। अंग्रेजी की संरचना, भाषा–शैली, लंबे–लंबे और संयुक्त वाक्य–विन्यास आदि की भिन्नता के कारण मूल प्रारूप को हिंदी में लाना कठिन है। प्रारूपण की यह जटिलता विधि–अनुवाद के क्षेत्र में मुख्य बाधा महसूस होती है।

अगर विधि संबंधी मूल प्रारूप ही हिंदी में तैयार किया जाए तो इससे न ही विधि–अनुवाद की जरूरत होगी और न ही मूल प्रारूपण की जटिलता की समस्या होगी। परिणामस्वरूप भारत के निवासियों को न्याय व्यवस्था और न्यायालय की भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए केवल न्याय–व्यवस्था एवं न्यायाधीशों को ही भारतवासियों की भाषा सीखने का प्रयास करना होगा। शुरू में यह कार्य कठिन अवश्य प्रतीत होगा किंतु असाध्य नहीं है। विधि अनुवाद सरल अवश्य होना चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि सरल और कठिन के बीच विभाजक रेखा खींचना स्वयं में सरल कार्य नहीं है। देखने–सुनने में कठिन प्रतीत होने वाले विधि के अनेक शब्द बार–बार प्रयोग के कारण सरल लगने लगे हैं। वस्तुतः हिंदी में 'संविधान', 'विधायक', 'सांसद', 'न्यायालय', 'प्रधानमंत्री', 'संसद', 'सभापति', 'राष्ट्रपति', 'लोकसभा', 'राज्यसभा', 'अनुदान', 'अधिनियम', 'संचित निधि', 'अनुपूरक', 'अधिसूचना',

'अल्पसंख्यक', 'विशेषाधिकार', 'राजपत्र' आदि अनेक मानक एवं पारिभाषिक शब्द अत्यधिक शब्द–प्रयोग के कारण अपेक्षाकृत अधिक सरल एवं आम लोगों को सुपरिचित महसूस होते हैं।

16.7.11 विधिज्ञ अनुवादकों का अभाव

साहित्य एवं विधि–इतर ज्ञान–विज्ञान की अन्य शाखाओं–प्रशाखाओं से संबंधित सामग्री की अपेक्षा विधि सामग्री का हिंदी अनुवाद करने की योग्यता–क्षमता रखने वाले दक्ष अनुवादकों का अभाव है। विधिज्ञ अनुवादकों का अभाव, विधि–अनुवाद की प्रमुख समस्या है। विधि का अनुवाद कार्य करने के लिए विधि के ज्ञान के साथ–साथ अंग्रेजी एवं हिंदी का सम्यक् ज्ञान अत्यंत आवश्यक है तभी सही विधि–अनुवाद संभव है। जबकि विधि का ज्ञान और अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी भाषा पर अधिकार के आधार पर विधि सामग्री को अनूदित/अंतरित करने की योग्यता से संपन्न विधि अनुवादक बहुत कम उपलब्ध हैं। अनेक बार कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो विधिज्ञ तो होते हैं किंतु उनमें दोनों भाषाओं पर समान प्रभुत्व अपवादस्वरूप ही देखने को मिलता है। जो इने–गिने व्यक्ति विधि और दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, वे अपने व्यवसाय में अपनी व्यस्तता के चलते विधि–अनुवाद के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनके पास समय और इच्छा–शक्ति का अभाव है।

विधि–अनुवाद संबंधी इन कतिपय समस्याओं के कारण विधि–अनुवाद को असंभव नहीं मान लिया जाना चाहिए। कौन–सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ समस्याएँ और कठिनाइयाँ न हों। इनसे डरकर भागना कर्मशील व्यक्ति की पहचान नहीं है। और अनुवादक तो ऐसा कदापि नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए भले ही यह फतवा जारी रहा था कि 'अनुवादक प्रवंचक होता है' किंतु वह तो 'आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः।/ शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः।।' में अभिव्यक्त उर्जस्वल उपदेश से उर्जास्वित होकर अनुवाद–रूपी पुनीत कर्म के मार्ग पर 'चरैवेति–चरैवेति' गायन करते हुए कर्मशील रहने की प्रेरणा से अनुस्यूत होता है।

16.8 विधि साहित्य का अनुवाद कब नहीं किया जाना चाहिए?

विधि साहित्य के अनुवाद के लिए पूर्वापेक्षाओं से संबंधित भाग 16.4 में आप पढ़ चुके हैं कि विधि–अनुवादक केवल अनुवादक मात्र न होकर 'प्रारूपकार' होता है और उसे किसी भी अधिनियम का प्राधिकृत पाठ (अनुवाद) तैयार करते समय प्रारूपकार की भाँति सभी नियमों आदि का अनुसरण करना चाहिए। प्राधिकृत पाठ का प्रारूपण करते समय अनुवादक को प्रत्येक शब्द को पर्याप्त महत्व देना होता है और साथ ही भाव को भी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह मूल सामग्री के प्रत्येक शब्द का अनुवाद करे ही। इस दृष्टि से मूल में आए कुछेक पदों, अभिव्यक्तियों, पूर्व–प्रकाशित अधिनियमों आदि के पूर्व–निर्मित नामों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी–निकायों, कार्यालयों, पदनामों आदि के नाम भी हो सकते हैं। यही स्थिति पूर्व–दृष्टांतों और नमूनों की भी है, जिनका नए सिरे से अनुवाद करने के स्थान पर प्राधिकृत पाठ तैयार करते समय उपयोग कर लेना चाहिए।

विधि–अनुवादक को मूल में इस प्रकार पूर्व–निर्मित कुछेक पद और अभिव्यक्तियाँ पूर्व–प्रकाशित अधिनियमों आदि में मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनका अनुवाद नहीं करना होता है क्योंकि ये सभी स्वयं में संज्ञा रूप प्राप्त किए हुए होते हैं यानी ये उसी प्रकार लिखे जाने चाहिए जिस प्रकार वे मूल अधिनियम आदि में लिखे हुए हों। अनुवादक को सावधानी से और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यह देखना होता

है कि मूल में ऐसी कौन–सी आंशिक सामग्री है जिसका उसे स्वयं अनुवाद नहीं करना। इसके लिए जरूरी है कि विधि–अनुवादक को यह बोध हो कि उसे सामग्री के किस अंश का अनुवाद करना है और किसका नहीं करना है। हम इस कथन को एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि किसी अधिनियम में यह अभिव्यक्ति शामिल की हुई है कि 'for the purposes of this Section 'Income' has the same meaning as in the Income Tax Act' जो यह दर्शाती है कि नव–निर्मित अधिनियम में 'income' शब्द वास्तव में 'Income Tax Act' में प्रयुक्त 'income' शब्द का ही पर्याय है। चूँकि 'Income Tax Act' पहले ही बन चुका है और उसमें 'income' शब्द के लिए जो हिंदी पर्याय निर्धारित किया हुआ है, वही पर्याय नव–निर्मित अधिनियम में भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी उस स्थिति में अनुवादक को 'income' शब्द का अनुवाद नहीं करना होगा।

इसी तरह से विधि–अनुवादक को यह भी देखना होगा कि अधिनियम का नाम (उक्त उदाहरण के संदर्भ में 'Income Tax Act') का वह स्वयं अनुवाद न करे बल्कि उद्धृत अधिनियम का ठीक वही नाम दे जो उस अधिनियम के हिंदी में प्रकाशित प्राधिकृत पाठ में दिया हुआ है। यदि किसी अधिनियम के आधार पर किन्हीं अपराधों का सृजन किया गया हो (उदाहरण के लिए, व्यपहरण, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानक वध, डकैती) तो उनका भी अनुवाद न करके उन अपराधों का सृजन करने वाले अधिनियम से यथावत लिया जाना चाहिए।

इसी आधार पर 'Export-Import Bank of India' जैसे प्राधिकृत निकाय का अनुवाद 'भारतीय निर्यात–आयात बैंक', 'Industrial Development Bank of India' का 'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक', 'Reserve Bank of India' का 'भारतीय रिजर्व बैंक' और 'Life Insurance Corporation of India' का अनुवाद 'भारतीय जीवन बीमा निगम' किया जाएगा। और, इसी तरह से विधि–अनुवादक को महारजिस्ट्रार (Registrar General), महानियंत्रक (Controller General), कलक्टर (Collector), आयकर अधिकारी (Income Tax Officer) जैसे कानूनी प्राधिकारियों के पदनामों के पर्याय लिखने होते हैं।

इसी प्रकार राज्यों के उन अधिनियमों का भी अनुवाद नहीं करना होता है जिनका प्राधिकृत पाठ प्रकाशित हो चुका है, भले ही उनका नाम और शीर्षक अनुवादक को कुछ अटपटा लगे। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य में 'U.P. Salex Tax Act' के लिए 'उ.प्र. बिक्री कर अधिनियम' और 'U.P. Industrial Dispute Act' के लिए 'उ.प्र. औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट' रखा गया है। ऐसी स्थिति में अनुवादक को उसी नाम को अपने अनुवाद में रखना होगा। वह उसका नाम नहीं बदल सकता।

16.9 सारांश

सांविधानिक प्रावधानों और विधिक व्यवस्था ने देश में विधि साहित्य के अनुवाद की जो आवश्यकता की स्थिति बना दी है, वह द्विभाषिकता की अनिवार्यता के कारण निरंतर बनी रहेगी। विधि के क्षेत्र में, हिंदी में मौलिक चिंतन एवं मौलिक रचना के अभाव के कारण भी इस क्षेत्र में अनुवाद अपनी आवश्यकता बनाए हुए है।

इस इकाई में विधि के अनुवाद के लिए कुछ पूर्वापेक्षाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। विधि–अनुवादकों के लिए ये पूर्वापेक्षाएँ वास्तव में दिशा–निर्देश का काम करने वाले बिंदु हैं। विधि अनुवाद में शब्दानुवाद अथवा भावानुवाद में किसे आधार बनाकर अनुवाद किया जाए, अनुवादक के सामने यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है। वास्तव में विधि अनुवाद इन दोनों के बीच संतुलन की अपेक्षा रखता है। अतः शब्द

और भाव के बीच सौहार्दपूर्ण सामंजस्य स्थापित करते हुए विधि अनुवाद समतुल्यता के सिद्धांत पर खरा उतरना चाहिए। भाषा–शैली और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दे भी अनुवादक के लिए विशेष ध्यानाकर्षण की अपेक्षा रखते हैं। इसके साथ विधि–अनुवाद के मार्ग में समस्याएँ बाधा खड़ी करती हैं, सीमाएँ अनुवादक को निस्तेज करती हैं। समस्याओं की जानकारी तो अनुवादक को चौकन्ना बना देती है लेकिन सीमा यह बताती है कि विधि–अनुवादक को कब अनुवाद नहीं करना चाहिए। इन पक्षों को भी इस इकाई में शामिल करके 'विधि साहित्य का अनुवाद' विषय को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश की गई है।

16.10 अभ्यास के लिए प्रश्न

1. विधि अनुवाद का प्रयोजन एवं विधि साहित्य के अनुवाद में पूर्वापेक्षाएँ स्पष्ट कीजिए।
2. विधि साहित्य के अनुवादक को प्रारूपकार क्यों कहा जाता है? विधिक साहित्य में मूल प्रारूपण संबंधी क्या समस्या है?
3. विधि साहित्य का शब्दानुवाद किया जाना चाहिए अथवा भावानुवाद? विधिक साहित्य का अनुवाद करते समय किस शैली को महत्व देना क्यों जरूरी है?
4. विधि अनुवादक को सामान्य बोलचाल के विशेष अर्थाभिव्यंजक शब्दों संबंधी किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
5. विधि अनुवाद में सांस्कृतिक भिन्नता किस प्रकार समस्या बनकर उभरती है?
6. विधि साहित्य का कब अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए?

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इस खंड के लिए कुछ उपयोगी पुस्तकें

- *भारत का संविधान*, नई दिल्ली, राजभाषा खंड; विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
- *विधि शब्दावली* (छठा संस्करण, 2001), नई दिल्ली, विधायी विभाग; राजभाषा खंड; विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- ––, (14वाँ संस्करण) 2009, *लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम*, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन।
- शर्मा, ब्रजकिशोर, 2009. *भारत का संविधान : एक परिचय*, नई दिल्ली, पी.एच. आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
- खन्ना, संतोष, *भारत का संविधान : अनुचिंतन के नए क्षितिज*, नई दिल्ली, विधि भारती परिषद।
- बावेल, वसंती लाल. *भारत का संविधान*, इलाहाबाद, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशंस।
- शर्मा, ब्रजकिशोर, 2009. *विधि की शब्दावली और विधि का अनुवाद*, नई दिल्ली, पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
- अग्रवाल, कृष्ण गोपाल, 2004. *विधि अनुवाद : विविध आयाम*, नई दिल्ली, संजय प्रकाशन।
- अग्रवाल, कृष्ण गोपाल एवं टंडन, पूरनचंद (संपा.), *विधि अनुवाद : सिद्धांत और व्यवहार (भाग 1 और 2)*, नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- नगेंद्र (संपा.), 1993. *अनुवाद विज्ञान : सिद्धांत और अनुप्रयोग*, दिल्ली, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- गोस्वामी, कृष्ण कुमार, 2008. *अनुवाद विज्ञान की भूमिका*, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
- गुप्ता, नीता एवं टंडन, पूरनचंद (संपा.), 2001. *अनुवाद शतक (भाग 2)*, नई दिल्ली, भारतीय अनुवाद परिषद।
- तिवारी, भोलानाथ; गोस्वामी, कृष्ण कुमार; एवं गुलाटी, अजीत लाल (संपा.), 1993. *कार्यालयी अनुवाद की समस्याएँ*, शब्दकार, दिल्ली।
- अग्रवाल, कुसुम, 1999. *अनुवाद शिल्प : समकालीन संदर्भ*, दिल्ली, साहित्य सहकार।
- खन्ना, संतोष, 2008. *अनुवाद के नए परिप्रेक्ष्य*, दिल्ली, विधि भारती परिषद।
- Kaul and Shakdher. *Practice and Procedure of Parliament*, New Delhi, Lok Sabha Secretariat.

पत्रिकाएँ

- निर्णय पत्रिका, उच्चतम न्यायालय
- सिविल निर्णय पत्रिका, उच्चतम न्यायालय
- दांडिक निर्णय पत्रिका, उच्चतम न्यायालय

- 'अनुवाद', भारतीय अनुवाद परिषद, नई दिल्ली
- 'राजभाषा भारती', राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 'विधि भारती', विधि भारती परिषद, नई दिल्ली
- 'विधि भास्वर', ग्वालियर
- जबलपुर लॉ जर्नल
- मध्य प्रदेश राजस्व निर्णय

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY